

Annexure-3

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम:- वित्त प्रबंधन शाखा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर):- NRHM A-10.4.6

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-1 के आधार पर):-
लेखा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम) :- राज्य स्तर से प्रखंड स्तर तक लेखा के समुचित संधारण हेतु सघन प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुये प्रस्ताव पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त है। पुनराक्षित वित्तीय दिशा-निर्देश की CD जो भारत सरकार से प्राप्त हुई थी, उसे सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसे क्रियान्वित किया जाना है।

इकाई राशि (रु० में) :- 50,000/-प्रति जिला

वित्तीय दिशा-निर्देश:- राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित दर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रक्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किया जाना है जिसके लिए सभी प्रमंडलीय स्तर पर विहित प्रपत्र में बजट का अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षण क्रियान्वित किया जाये।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) प्रशिक्षण से संबंधित संसूचित पत्र संख्या:-..... दिनांक..... संलग्न।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:- के०एल० दास (वित्त प्रबंधक)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर:-0612-2283801, 9470003021